

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(11/18)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती प्रेमलता मीणा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपलखूंट (जिला प्रतापगढ़) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 28.11.2016 से 27.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 28.11.2018 से 07.03.2019 तक 100 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 08.03.2019 से 27.11.2019 तक 265 दिवस का असाधारण अवकाश।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 01/06/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(11/18)/2018/ 1118

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपलखूंट (जिला प्रतापगढ़)।
3. प्रधानाचार्य, श्री त्रिपुरा सुंदरी नर्सिंग स्कूल, उदयपुर रोड़, बांसवाडा।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर